

आज्ञाप्ति का निष्पादन क्यों न किया जाए,

यह कारण बतलाने हेतु सूचना

(Notice to show cause why a decree should not be executed)

(व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूचित के आदेश 21 नियम 22 देखें)

न्यायालय श्री
श्री रा. उ. न्या. से./रा. न्या. से द्वारा अध्यासित (प्रिजाइडेड)
निष्पादन प्रकरण संख्या :-
आज्ञाप्तिधारी निर्णीत ऋण (जजमैण्ट डेंटर)
..... विरुद्ध
..... हेतु आज्ञाप्ति

प्रेषिती,
श्री आ./ध. प. श्री जाति
.....
पता

यतः उपरोक्त आज्ञाप्तिधारी ने न्यायालय श्री
द्वारा दिनांक को श्री के विरुद्ध निर्णीत व आज्ञाप्त (डीक्रिड)
वाद संख्या की आज्ञाप्ति के आपके विरुद्ध निष्पादन
हेतु इस न्यायालय से प्रार्थना की है। अतः एतद्वारा आपको सूचित करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि इस
न्यायालय में दिनांक की पूर्वाह्न बजे आप (स्वयं अथवा अपने) समुपदेशी
(काउंसिल के माध्यम से) उपस्थित होकर कारण बतलाए कि आपके विरुद्ध उक्त आज्ञाप्ति का निष्पादन क्यों
न किया जाए?

ध्यान रहे! इसमें चूक होने पर यह मान लिया जाएगा कि उक्त आज्ञाप्ति के आपके विरुद्ध निष्पादन नहीं किये
जाने हेतु आपके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन निर्गम किया गया ।

न्यायालय
मुद्रा

पक्षकार/अधिवक्ता
के प्रथमाक्षर

न्यायालय के
हस्ताक्षर व
पद मुद्रा

आदेशिका तामिलकर्त्ता का शपथ पत्र

(आदेश 5 का नियम 18)

के पुत्र

का शपथ पत्र

मैं शपथ लेता हूँ कि प्रतिज्ञात करता हूँ और यह कथन करता हूँ कि

1. मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका तामिलकर्त्ता हूँ।
2. के न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के के संख्याक वाले वाद में निकाला गया/निकाली गई तारीख का समन/की सूचना पर तामिल के लिए मुझे तारीख को प्राप्त हुआ/हुई थी।
3. उक्त को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख को लगभग बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में उसको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उनके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके की थी (क) यहां यह लिखिये कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्त्ता के हस्ताक्षर

अथवा

4. उक्त को मैं वैयक्तिक रूप से नहीं जानता इसलिए मेरे साथ को गया उसने मुझे व्यक्ति दिखलाया जिसके बारे में बताया गया कि उक्त वह है और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख को लगभग बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में उसकी एक प्रति उनको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा की थी। (क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्त्ता के हस्ताक्षर

अथवा

5. उक्त को और उस गृह को, जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है। मैं वैयक्तिक रूप से जानता हूँ और मैं उक्त गृह गया था और वहां तारीख को लगभग बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में मैंने उक्त को नहीं पाया। (क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 15 और 17 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

अथवा

6. एक व्यक्ति मेरे साथ तक गया और मुझे वहां दिखलाया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह वही गृह है जिसमें मामूली तौर पर निवास करता है, मैंने उक्त को वहां नहीं पाया। (क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

अथवा

यदि प्रतिस्था पत्र तामिल के लिए दिया गया है तो जिस रीति से समन की तामिल की गई थी उसे प्रतिस्थापित तामिल के लिए आदेश के निबन्धों के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

आज तारीख को उक्त ने समक्ष प्रति ज्ञान किया।

अभिशाक्षियों को शपथ दिलाने के लिए प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 139 के अधीन।

आज्ञाप्ति का निष्पादन क्यों न किया जाए,

यह कारण बतलाने हेतु सूचना

(Notice to show cause why a decree should not be executed)

(व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूचित के आदेश 21 नियम 22 देखें)

न्यायालय श्री
श्री रा. उ. न्या. से/रा. न्या. से द्वारा अध्यासित (प्रिजाइडेड)
निष्पादन प्रकरण संख्या :-
आज्ञाप्तिधारी निर्णीत ऋण (जजमैण्ट डेंटर)
..... विरुद्ध
..... हेतु आज्ञाप्ति

प्रेषिती,
श्री आ./ध. प. श्री जाति
.....
पता

यतः उपरोक्त आज्ञाप्तिधारी ने न्यायालय श्री
द्वारा दिनांक को श्री के विरुद्ध निर्णीत व आज्ञाप्त (डीक्रिड)
वाद संख्या की आज्ञाप्ति के आपके विरुद्ध निष्पादन
हेतु इस न्यायालय से प्रार्थना की है। अतः एतद्वारा आपको सूचित करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि इस
न्यायालय में दिनांक की पूर्वाह्ना बजे आप (स्वयं अथवा अपने) समुपदेशी
(काउंसिल के माध्यम से) उपस्थित होकर कारण बतलाए कि आपके विरुद्ध उक्त आज्ञाप्ति का निष्पादन क्यों
न किया जाए?

ध्यान रहे! इसमें चूक होने पर यह मान लिया जाएगा कि उक्त आज्ञाप्ति के आपके विरुद्ध निष्पादन नहीं किये
जाने हेतु आपके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन निर्गम किया गया ।

न्यायालय
मुद्रा

पक्षकार/अधिवक्ता
के प्रथमाक्षर

न्यायालय के
हस्ताक्षर व
पद मुद्रा

आदेशिका तामिलकर्ता का शपथ पत्र

(आदेश 5 का नियम 18)

के पुत्र

का शपथ पत्र

मैं शपथ लेता हूँ कि प्रतिज्ञात करता हूँ और यह कथन करता हूँ कि

1. मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका तामिलकर्ता हूँ।
2. के न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के के संख्याक वाले वाद में निकाला गया/निकाली गई तारीख..... का समन/की सूचना पर तामिल के लिए मुझे तारीख.....को प्राप्त हुआ/हुई थी।
3. उक्त को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख.....को लगभग.....बजे.....पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उनके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके की थी (क) यहां यह लिखिये कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

4. उक्त को मैं वैयक्तिक रूप से नहीं जानता इसलिए मेरे साथ को गया उसने मुझे व्यक्ति दिखलाया जिसके बारे में बताया गया कि उक्त वह है और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख.....को लगभग.....बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसकी एक प्रति उनको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा की थी। (क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

5. उक्त को और उस गृह को, जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है। मैं वैयक्तिक रूप से जानता हूँ और मैं उक्त गृह गया था और वहां तारीख.....को लगभग.....बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह मैंने उक्त को नहीं पाया। (क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 15 और 17 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

अथवा

6. एक व्यक्ति मेरे साथ तक गया और मुझे वहां दिखलाया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह वही गृह है जिसमें मामूली तौर पर निवास करता है, मैंने उक्त को वहां नहीं पाया। (क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई, उसे आदेश 5 नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

अथवा

यदि प्रतिस्था पत्र तामिल के लिए दिया गया है तो जिस रीति से समन की तामिल की गई थी उसे प्रतिस्थापित तामिल के लिए आदेश के निबन्धों के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए।

आज तारीख.....को उक्त.....ने समक्ष प्रति ज्ञान किया।

अभिशाक्षियों को शपथ दिलाने के लिए प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 139 के अधीन।